पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 8/2020

1. सन्दीपकुमार पुत्र साधुराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. साधुराम पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 36/36 के मु0न0 20 के किला न0 11,12, 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 44 के किला न0 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 159 के किला न0 21 ता 25 .प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 174 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 175 के किला न0 1 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 180 के किला न0 5 ,6 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 181 के किला न0 1 ता 4, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 इस प्रकार कुल 17.204है0 जिसमें बारानी 17.129है0, गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 में प्रतिवादी सं0 1 साधुराम का 5/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 साधुराम की बजाय वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सन्दीपकुमार व प्रतिवादी सं0 1 साधुराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 8/2021

1. रान्दीप कुमार पुत्र साधुराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. साधुराम पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

वकील श्री राममूर्ति ताखर : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 03.7.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 36/36 के मु0न0 20 के किला न0 11,12, 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 44 के किला न0 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 159 के किला न0 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 174 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 175 के किला न0 1 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 180 के किला न0 5 ,6 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 181 के किला न0 1 ता 4, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 इस प्रकार कुल 17.204है0 जिसमें वारानी 17.129है0, गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 में प्रतिवादी सं0 1 साधुराम का 5/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा चन्दाराम की खातेदारी हुआ करती थी। चन्दाराम के वाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 साधुराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी वंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 02 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सन्दीपकुमार पुत्र साधुराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा द्वारा जमाबंदी रोही सुरतपुरा संवत 2071–74 खाता सं0 36/36 प्रदर्श 1 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही सुरतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही सुरतपुरा संवत 2071–74 खाता सं0 36/36 प्रदर्श 1 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण के अनुसार साधुराम के एक पुत्र सन्दीपकुमार व इसके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की ज़ाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 36/36 के मु0न0 20 के किला न0 11,12, 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 44 के किला न0 1, 2, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 159 के किला न0 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 174 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 175 के किला न0 1 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0 न0 180 के किला न0 5 ,6 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 181 के किला न0 1 ता 4, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253है0 इस प्रकार कुल 17.204है0 जिसमें बारानी 17.129है0, गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 में प्रतिवादी सं0 1 साधुराम का 5/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 साधुराम की बजाय वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सन्दीपकुमार व प्रतिवादी सं0 1 साधुराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.7.21........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सह(सत्यनारायण)र
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner